न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 744–एक / 12 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–5–11 पारित द्वारा कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 237 / बी–121 / 2006–07.

1– रामेश्वर प्रसाद पुत्र स्व. श्री लच्छीलाल अग्रवाल
2– श्रीमती सरला पत्नी श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
3– सुनील पिता रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
4– अनिल पिता श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल
5– श्रीमती सरिता पत्नी श्री सुनील अग्रवाल
6– श्रीमती चम्पा पत्नी श्री अनिल अग्रवाल
समस्त निवासीगण ग्राम धमधा गोसलपुर
तहसील सिहोरा जिला जबलपुर म.प्र. ——— अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– शिवप्रसाद उर्फ सेमुअल (ईसाई) पुत्र रम्भा भूमियां
निवासी ग्राम सलैया तहसील बहोरीबंद जिला कटनी
2– धंसू बल्द पांडू
3– दुलारे बल्द मुंडी
4– गरीबदास बल्द रामदास
5– कोठारी बल्द जम्मन
6 ईश्वरदास बल्द रामप्रसाद प्रधान
निवासीगण ग्राम धमधा तहसील सिहोरा
जिला जबलपुर म.प्र.
7– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर ——— प्रत्यर्थीगण

———

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण.
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी कमांक –7.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 27 जून, 2014 को पारित)

———

यह अपील कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के राजस्व प्रकरण कमांक 237 / बी–121 / 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 13–5–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–

राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प.ह.नं. 80 रा.नि.मं. खितौला तहसील सिहोरा द्वारा तहसीलदार, सिहोरा को दिनांक 28–2–01 को इस आषय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी कमांक 2 लगायत 6 को प्रश्नाधीन भूमि का वितरण सीलिंग से पट्टे के रूप मे हुआ था एवं उक्त सभी ने अपने पट्टे की भूमि का विकय प्रत्यर्थी कमांक 1 षिवप्रसाद पुत्र रम्भा भूरिया को कर दिया है । उक्त प्रतिवेदन पर से प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ हुई और तहसीलदार ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन कलेक्टर, को प्रस्तुत किया जिसमें अंतरण को संहिता की 165 (6) एवं 165 (7) के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा निरस्त कर भूमि शासन में निहित किए जाने का उल्लेख किया गया । कलेक्टर, जबलपुर ने आदेश दिनांक 17–11–2006 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के अंतरण को संहिता की धारा 165 (6) तथा 165 (7) के उल्लंघन में मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि के अंतरण को शून्यवत मानते हुए निरस्त किया एवं भूमि पर म.प्र. शासन का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है तथा अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई है । लिखित बहस में अपीलार्थी की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि का पट्टा प्रत्यर्थी क. 2 लगायत 6 को वर्ष 1978 में भूमिस्वामी की हैसियत से दिया गया था उक्त पट्टे में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि उक्त भूमि को प्रत्यर्थी क. 2 लगायत 6 विकय नहीं कर सकते थे । उस समय भूमि विकय से प्रतिबंधित संबंधी कोई शर्त नहीं थी । प्रत्यर्थी कमांक 2 लगायत 6 ने सर्वप्रथम भूमि का विकय प्रत्यर्थी कमांक 1 को 21 वर्ष बाद प्रश्नाधीन भूमि का विकय किया गया है, और उनके द्वारा बाद में भूमि अपीलार्थीगण को विकय की गई और विकयपत्र के आधार पर अपीलार्थीगण का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण किया गया । संहिता के प्रावधानों के तहत आवंटन के 10 वर्ष उपरांत पट्टेदार द्वारा कलेक्टर

की बिना अनुमति के विक्रय किया जा सकता है । कलेक्टर द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित तर्क में न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 8 माननीय उच्च न्यायालय को उद्धरित करते हुए यह कहा कि संहिता की धारा 167 (7–ख) तथा 158 (3) के उपबंध उक्त धाराओं के अंतःस्थापन के पूर्व पट्टा तथाभूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए प्रकरणों में लागू नहीं होगी – क्योंकि उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि इस प्रकरण में अपीलार्थीगण के पक्ष में किए गए विक्रय को अवैध मानने के जो आधार कलेक्टर एवं आयुक्त ने अपने आदेशों में दिए हैं वे संहिता के प्रावधानों के विपरीत हैं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में मानने योग्य नहीं हैं । उक्त आधारों पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किए जाने तथा अपील स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से तथा अपीलार्थीगण द्वारा निगरानी मेमो क साथ प्रस्तुत अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा के प्रकरण कमांक 17/अ–90/बी–6/1977–78 से संबंधित आदेष–पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में जो विवादित भूमियां हैं वह सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अतिशेष घोषित की गई थी जिसका पट्टा अनुविभागीय अधिकारी, सिहोरा द्वारा प्रकरण कमांक 17/अ–90/बी–6/1977–78 में पारित आदेश दिनांक 29–6–78 द्वारा प्रत्यर्थी कमांक 2 लगायत 6 को भूमिस्वामी हक में प्रदान किया गया है । प्रत्यर्थी कमांक 2 लगायत 6 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सर्वप्रथम विक्रय वर्ष 1999 में प्रत्यर्थी कमांक 1 को किया गया और प्रत्यर्थी कमांक 1 ने अपीलार्थीगण को वर्ष 2001 में भूमि का विक्रय किया है । बाद में शिकायत के आधार पर कलेक्टर ने प्रकरण में हुए अंतरण को संहिता की धारा 165 (6) तथा 165 (7) के उल्लंघन में मानते हुए शून्य घोषित कर भूमि शासकीय दर्ज करने के आदेश दिए हैं, कलेक्टर के आदेश की पुष्टि आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 8 में प्रतिपादित सिद्धांत को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत नहीं है । न्यायदृष्टांत 2013 आर.एन. 8 में

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 165 (7–ख) के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संहिता की धारा 165 (7–ख) 24–10–80 से अंतःस्थापित की गई है अतः संहिता की धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) के उपबंध पूर्व के पट्टे तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किए गए प्रकरणों में लागू नहीं होगी क्योंकि इन उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नही दिया गया है । इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी कमांक 2 लगायत 6 को प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी अधिकार में दिनांक 29–6–78 को वंटित की गई है । अतः इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का उक्त न्यायदृष्टांत 2013 आर0एन0 8 पूरी तरह लागू होता है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश मे कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं उन्हें स्थिर नहीं रखा जा सकता । चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य हैं अतः प्रकरण में आए अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है एवं आयुक्त, जबलपुर संभाग द्वारा प्रकरण कमांक 237/बी–121/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 13–5–11 तथा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 115/बी–121/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 17–11–2006 निरस्त किए जाते हैं । तदनुसार पूर्ववत राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर